चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 156वीं बैठक

का कार्यवृत्त

दिनाँक : 01.06.2019

दिन : शनिवार

समय : अपरान्ह 12:00 बजे

स्थान : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
रायबरेली रोड, लखनऊ के आडीटोरियम

(52)

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की 156वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक : 01.06.2019
सभास्थल : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, रायबरेली रोड, लखनऊ
समय : अपरान्ह 12:00 बजे

उपस्थिति :–

1.	**डा0सुशील सोलोमन,** कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	**बी0राम शास्त्री, सचिव कृषि,** कृषि शिक्षा एवं अनुसंधन विभाग	सदस्य/प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा
3.	**श्री आर0 के0 गुप्ता,** संयुक्त निदेशक कृषि, लखनऊ	सदस्य/प्रतिनिधि निदेशक कृषि,
4.	**डा0 सी0एस0 यादव,** निदेशक पशुपालन	सदस्य
5.	**श्री करण सिंह पटेल,** 20–एम0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, फतेहपुर	सदस्य
6.	**श्री वीर सेन यादव,** 750W-2,दामोदर नगर, कानपुर–208027	सदस्य
7.	**श्री जगदीश सिंह यादव,** 730, शान्ती नगर, स्टेशन रोड,शिकोहाबाद, जिला–फिरोजाबाद	सदस्य
8.	**श्री नथुनी सिंह कुशवाह,** ग्राम व पोंस्ट–बसडीला मैनुद्दीन, जनपद–देवरिया।	सदस्य
9.	**डा0 ए0डी0 पाठक,** निदेशक, भारतीय गन्ना संस्थान, लखनऊ	सदस्य
10.	**श्रीमती रचना सिंह,** भरथना रोड, विधूना, जिला–औरेया।	सदस्या
11.	**श्री मनमोहन मिश्रा,** अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त डा0 एच0जी0 प्रकाश, निदेशक शोध द्वारा विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट 2018–19 का माननीय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष Power Point प्रस्तुतीकरण किया गया। वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर 496 के सापेक्ष 406 छात्रों ने प्रवेश लिया तथा परास्नातक (एम0एस0सी0 व पी0एचडी0) में कुल 275 सीट के सापेक्ष 108 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। गत वर्ष विश्वविद्यालय के सेवा नियोजन निदेशालय द्वारा 169 छात्रों को विभिन्न सरकारी अर्धसरकारी व बैंक इत्यादि संस्थानों में रोजगार प्राप्त किया तथा 44 छात्रों को आई0सी0ए0आर0 छात्रवृत्ति तथा विश्वविद्यालय के 20 छात्रों ने आई0सी0ए0आर0 नेट में उत्तीर्ण किये। प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया कि गत वर्ष विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मूँग की के0एम0–2342 प्रजाति जो 60–62 दिन में पक कर तैयार होती है तथा दानें का रंग चमकीला हरा होता है एवं अलसी की एलसीके–1009 प्रजाति जिसमे ओमेगा–3 अधिक मात्रा में है, विकसित की गई है। इसके साथ ही फसल उत्पादन की तीन, पौध सुरक्षा की चार, मृदा विज्ञान की दो तथा उद्यान, दलहन, तिलहन व शाकभाजी फसलों का कुल 7994 कु0 जनक, आधारीय, प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर भारत सरकार व अन्य संस्थाओं को बीजों का विपणन किया गया, साथ ही किसनों को भी बीज उपलब्ध कराये गयें।

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 244 शोध पत्र प्रस्तुत किये गये, साथ ही विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान हेतु विभिन्न अन्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा 61 वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया।

प्रसार निदेशालय व कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 528 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कियें जिसमे 14160 प्रगतिशील किसान, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता इत्यादि लाभान्वित हुये। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्रो द्वारा 300 परामर्श सेवायें, 414 डायग्नोस्टिक निदान, 99 प्रक्षेत्र दिवस, 173 किसान गोष्ठी, 18 किसान मेला, 17 प्रदर्शनियॉ, 11 पशु स्वास्थ्य कैम्प, 8 किसान संगोष्ठी, 3599 प्रदर्शन तथा 300 किसान भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर 81287 कृषक लाभान्वित हुये।

निदेशक शोध द्वारा मा0 प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों एम0एस0सी0 व पी0एचडी0 के छात्रों की दक्षता उन्नयन हेतु हेतु Center for Advanced Agricultural Science & Technology on Nutritional Crops योजना प्रदान की गई है, जिससे योजना के अन्तर्गत चयनित संकाय सदस्य एवं एम0एससी0 व पी0एचडी0 छात्र देश–विदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं मे दक्षता प्राप्त कर सकेंगे, जिससे विश्वविद्यालय अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित होगी, जो विश्वविद्यालय के लिये गौरव की बात है। प्रस्तुतीकरण का मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रशंसा की गई।

मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा शासन के पत्र संख्या–367/67–कृशिअ–19–1500(60)/11 दिनांक09.03.2019 द्वारा नवनियुक्त सदस्य श्री नथुनी सिंह कुशवाहा जी का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर मा0 सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :–

मद संख्या 1	:	**प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 13.12.2018 को सम्पन्न हुई 155वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी तथा अपेक्षा की गयी कि श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 11.2.2019 द्वारा जिन तीन बिन्दुओं पर आख्या मॉगी गयी है, उसे तत्काल श्री राज्यपाल सचिवालय को निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग के स्तर से उपलब्ध करा दिया जाय। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि शासन से तथा श्री राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्रों का समुचित उत्तर और मांगी गयी सूचनायें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाय। समयवद्ध कार्यवाही न करने वाले नियंत्रक अधिकारियों/अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।
मद संख्या 2	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 13.12.2018 को सम्पन्न हुई 155वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** **मद संख्या–2** :– 154 वी बैठक मद सं0–5 के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्य श्री वीर सेन यादव की अध्यक्षता में एक समिति गाठित की गयी थी जिसके संयोजक निदेशक प्रसार बनाये गये थे। प्राध्यापक एवं अध्यक्ष सस्य विज्ञान विभाग सदस्य के रूप में नामित थे। समिति को दिनांक 31.3.2019 तक समस्त फार्मो का निरीक्षण कर भैतिक एवं वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में आख्या एवं रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थें। समिति अध्यक्ष श्री वीर सेन यादव द्वारा ही एकल रूप से कतिपय फार्मो का निरीक्षण किया गया। नवागत सदस्य श्री नथुनी सिंह कुशवाहा ने कहा कि गठित समिति को सम्मिलित रूप से निरीक्षण कर आख्या देनी चाहिए समिति के संयोजक निदेशक प्रसार एवं प्राध्यापक एवं अध्यक्ष सस्य विज्ञान विभाग सदस्य का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी अपेक्षा की उक्त समिति यथाशीघ्र समस्त फार्मो का निरीक्षण कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें। यह कार्यवाही निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग के स्तर से सम्पन्न होगी। **मद संख्या–2 :– 154 वी बैठक मद सं0–6** के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र फिरोजाबाद में सोडिक लैण्ड के सुधार हेतु समुचित कार्यवाही न करते हुये निदेशक प्रसार के स्तर से अधूरी अनुपालन आख्या भेजी गयी है। निदेशक प्रसार ने फिरोजाबाद प्रक्षेत्र के विकास हेतु नार्प योजना के अन्तर्गत बकरियों की चोरी होने के कारण बकरी युनिट बन्द होने की बात अपनी अनुपालन आख्या में बतायी है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि सोडिक लैण्ड के सुधार तथा अवैध कब्जो को रोकने हेतु निदेशक प्रसार के स्तर से तत्काल प्रभावी कदम उठाया जाय। जहॉ तक नार्प योजना के अन्तर्गत बकरी युनिट बन्द होने की बात बतायी गयी है। उसकी विवेचना विश्वविद्यालय अपने स्तर से निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र/योजना प्रभारी नार्प से करते हुये यथोचित निर्णय लें। **मद संख्या–2 :– 154 वी बैठक के मद सं0 –7** में प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि निदेशक प्रसार एवं निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, अधिष्ठाता कृषि संकाय एवं अभियांत्रिकी, इटावा एवं प्रभारी शाक भाजी अपने नियंत्रणाधीन समस्त प्रक्षेत्रों की बैलेंस शीट अध्यावधिक तैयार कराकर दिनांक 31.3.2019 तक समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कर लेगें। निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र ने अपने पत्र दिनांक 25.5.2019 द्वारा यह अवगत कराया है कि उनके नियंत्रणाधीन 9 प्रक्षेत्रों की बैलेंस

शीट तैयार हो गयी है। शेष लम्बित है। उन्होंने यह भी बताया है कि जिन प्रक्षेत्र अधीक्षकों द्वारा बैलेंस शीट तैयार करने में रूचि नहीं ली जा रही है। उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग को पत्र भेजा जा चुका है। निदेशक प्रसार द्वारा कितने के0वी0के0 की बैलेंस शीट तैयार करायी गयी है यह नहीं अवगत कराया गया है। उन्होने ने अपने पत्र दिनांक 28.5.2019 द्वारा मात्र यह बताया है कि के0वी0के0 प्रभारियों को बैलेंस शीट तैयार करने के निर्देश दिये गये। प्रबन्ध मण्डल द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया और यह निर्देश दिये गये कि तीन माह के अन्दर निदेशक प्रसार एवं निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, अधिष्ठाता कृषि संकाय एवं अभियांत्रिकी, इटावा एवं प्रभारी शाक भाजी अपने नियंत्रणाधीन समस्त प्रक्षेत्रों की बैलेंस शीट अध्यावधिक पूर्ण करा ली जाय। अन्यथा नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी की मुख्यालय स्तर पर एक योग्य सी0ए0 जिसे सरकारी विभागों में कार्य करने का अनुभव हो को नियमानुसार आवद्ध करते हुये प्रक्षेत्रों से तैयार की गयी बैलेंस शीट का आडिट एवं उसे संकलित कराते हुए एक पूर्ण बैलेंस शीट तैयार करायी जाय।

मद संख्या–2 :– 154 वी बैठक अन्य निर्देश बिन्दु सं0–7 के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार किया गया। सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उ0 प्र0 शासन ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि के0वी0के0 के वैज्ञानिकों को किसी भी दशा में सत्रांत लाभ देय नहीं होगा। यदि इसका कोई दृष्टान्त पूर्व का है तो उसे आधार न बनाया जाय। प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस पर सहमति प्रदान की गयी। प्रबन्ध मण्डल के वरिष्ठतम सदस्य श्री करण सिंह पटेल द्वारा इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी कि यदि प्रकरण में नियम स्पष्ट थे तो इस कार्य हेतु उनकी अध्यक्षता में कमेटी गाठित करने का कोई औचित्य नहीं था। श्री करण सिंह पटेल द्वारा यह भी कहा गया कि जिन बिन्दुओ पर नियम स्पष्ट हो वह प्रकरण आनवश्यक रूप से प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत न किये जाय।

155 वी बैठक अन्य निर्देशः–

बिन्दु संख्या 1– प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाय। विगत बैठकों की सूचना और एजेण्डा प्रस्ताव जो मा0 सदस्य श्री हरपाल सिंह को उपलब्ध कराये गये है, उसके साक्ष्य भी उपलब्ध करा दिये जाय।

बिन्दु संख्या 2– सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0 प्र0 शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी की कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी मे जो कार्य पूर्ण हो गये है। उनको 15 जुलाई 2019 तक टेक ओवर करते हुये नये भवन में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त के सम्बन्ध में अधिष्ठाता लखीमपुर खीरी तथा प्रभारी अभियंत्रण समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बिन्दु संख्या 3– प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्राध्यापकों की नियमानुसार वरिष्ठता सूची शीघ्र तैयार कराकर उन पर आपत्तिया आमंत्रित की जाये। आपत्तियों का नियमानुसार निस्तरण कराते हुये अन्तिम वरिष्ठता सूची शीघ्र प्रकाशित की जाय।

		बिन्दु **संख्या 5–** प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 11.2.2019 द्वारा चाही गयी पृच्छा का संज्ञान लेते हुये डा0 ए0डी0 पाठक, सदस्य प्रबन्ध मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति को औचित्य विहीन पाते हुये उसे निरस्त करने का निर्णय लिया।
मद संख्या 3	:	सेमेस्टर **फाइनल** परीक्षा की **उत्तर** पुस्तिकाओं के **मूल्यांकन एवं प्रश्नपत्र** सेटिंग **आदि की दरो में वृद्धि के सम्बन्ध में।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 4	:	विश्वविद्यालय परिसर स्थित अतिथि गृहों/कैलाश **भवन**/स्टेडियम **ग्राउन्ड एवं अन्य स्थानों की दरों के निर्धारण एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की अनुमोदित संस्तुतियों पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 5	:	**स्नातक** पाठ्यक्रमों के शोध **ग्रन्थ**/प्रोजेक्ट रिपोर्ट **मूल्यांकन** दरों में **वृद्धि** करने **पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 6	:	**बाबा साहब डा0 भीमराव** अम्बेडकर **कृषि अभियांत्रिकी एवं** प्रौद्योगिक **महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुमानित आय–व्यय को माननीय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार एवं स्वीकृत के सम्बन्ध में।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के वास्ताविक आय–व्यय तथा 2019–20 अनुमानित आय–व्यय को अनुमोदित किया गया। मा0 सदस्य श्री वीर सेन यादव द्वारा यह बात उठायी गयी की कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय इटावा को वेतन मद में पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की जाती है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्व वित्तपोषित के सम्बन्ध में समय–2 पर जारी शासनादेशो का अनुपालन नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये। स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमन्य कार्यो पर ही किया जाय। नियमित कर्मचारियों हेतु यदि बजट की कमी हो रही है तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, इटावा उसका स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर शासन में प्रस्तुत कर शासन स्तर पर प्रयास कर आवश्यक बजट प्राप्त करें।
मद संख्या 7	:	श्री मुकेश **सिंह, वैज्ञानिक (कृषि प्रसार), के0वी0के0, हरदोई का राज्य** नगरीय **विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, 7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार लखनऊ में परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 05.03.2019 से एक वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 8	:	**डा0 मुकेश श्रीवास्तव, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग का रानी लक्ष्मी वाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में कुलसचिव के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप दो वर्ष का धारणाधिकार (Lien) उनके मूल पद पर सुरक्षित रखे जाने संम्बन्धि प्रस्ताव।** डा0 मुकेश श्रीवास्तव को दिनांक 7.4.2016 से 6.4.2019 तक का लियन पहले ही प्रदान किया जा चुका है। पुनः दिनांक 7.4.2019 से 6.4.2021 तक लियन प्रस्तावित किया गया है। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय–21 की धारा–28 (आर) की उपधारा–3(एम)(iii) में उल्लिखित प्राविधानानुसार दो वर्ष का धारणाधिकार तथा विशेष परिस्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कुल तीन वर्ष के लियन दिये जाने का नियम है। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में समय सीमा विश्वविद्यालय परिनियमावली के प्रावधानों से अधिक हो गयी है। अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि उ0 प्र0 राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियो हेतु धारणाधिकार दिये जाने के नियमों का अध्ययन करते हुये नियम सहित प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
मद संख्या 9	:	**विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार विभाग में पदास्थित डा0 अशोक कुमार सिंह के सहायक महानिदेशक (प्रसार) के पद पर पुनर्नियुक्ति एवं विस्तार हेतु दिनांक 18.07.2015 से दिनांक 25.11.2019 तक की अवधि तक धारणाधिकार सुरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** डा0 अशोक कुमार सिंह को दिनांक 25.7.2005 से 24.7.2010, 25.7.2010 से 18.7.2015 तक का लियन पहले ही प्रदान किया जा चुका है। पुनः दिनांक 18.7.2018 से 25.11.2019 तक लियन प्रस्तावित किया गया है। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय–21 की धारा–28 (आर) की उपधारा–3(एम)(iii) में उल्लिखित प्राविधानानुसार दो वर्ष का धारणाधिकार तथा विशेष परिस्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कुल तीन वर्ष के लियन दिये जाने का नियम है। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में समय सीमा विश्वविद्यालय परिनियमावली के प्रावधानों से अधिक हो गयी है। अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि उ0 प्र0 राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियो हेतु धारणाधिकार दिये जाने के नियमों का अध्ययन करते हुये नियम सहित प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
मद संख्या 10	:	**विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न शोध कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु शोध निदेशालय द्वारा एक वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये कि शासनादेश में वाहनों को निष्प्रयोज्य किये जाने के नियमों का अनुपालन करते हुये पुरानी गाडी को निष्प्रयोज्य कराया जाय और रिप्लेशमेन्ट के आधार पर नये वाहन क्रय करने की कार्यवाही की जाय। वाहन क्रय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान से कोई भी धनराशि व्यय नहीं कि जायेगी।

मद संख्या 11	:	विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित सेन्टर फॉर एडवान्स एग्रीकल्चरल **साईसं एण्ड टेक्नोलॉजी ऑन न्यूट्रिशनल क्राप्स (CAAST-NC) योजना के सफल संचालन हेतु World Bank द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और इस बात पर प्रसन्नता भी व्यक्त की गयी कि देश में जिन चार कृषि विश्वविद्यालयो में योजना लागू की गयी उसमें कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर भी सम्मिलित है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विश्व बैंक और आई0सी0ए0आर0 के द्वारा दिये निर्देशो एवं गाइड लाइन का पालन करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
मद संख्या 12	:	विश्वविद्यालय में संचालित महाविद्यालयों **यथा गृह विज्ञान संकाय, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा एवं कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) लखीमपुर–खीरी में सृजित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रकिया, कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अर्न्तगत अभ्यर्थियों के साक्षात्कार एवं तदर्थ परियोजनाओ के अर्न्तगत पोजिसन्श, गेस्ट फैकल्टी तथा संविदा पर कर्मियों को रखने के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित वाह्य विशेषज्ञों को दिये जाने वाला मानदेय रू0 1500.00 से बढाकर रू0 3000.00 किये जाने विषयक प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 13	:	**विश्वविद्यालय** में कार्यरत कर्मचारियों के उपार्जित **अवकाश की स्वीकृत** हेतु **प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 14	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक 1	:	**बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में संचालित योजना सीड प्रोडक्शन एवं सीड टेक्नोलॉजी के कियान्वयन की कार्येत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 2	:	विश्वविद्यालय के **अधीन संचालित** महाविद्यालयों में **शिक्षण कार्य कर** रहें **संविदा/गेस्ट फैकल्टी कार्मिकों का पारिश्रमिक बढाये जाने विषयक प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि रू0 1200/–प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 25000/– एम0एस0सी0 ए0जी0 योग्यता धारी को और रू0 1200/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 30,000/– नेट एवं पी0एच0डी0 योग्यता धारी को देय होगा।

अन्य निर्देश	:	1. सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, [redacted] यह निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी बीज [redacted] रेत किये जाते है उनमे डी0बी0टी0 योजना का लाभ तत्का[redacted] किया जाय। कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 के पोर्टल पर विश्वविद्यालय स्वयं [redacted] रजिस्टर करते हुये डी0बी0टी0 योजना का कियान्वयन सुनिश्चित करने की कार्यवाही निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र एवं निदेशक प्रसार के स्तर से की जायेगी। 2. श्री वीर सेन यादव मा0 सदस्य द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में विश्वविद्यालय द्वारा कितना बीज किस योजना में बेचा गया था उस योजना में कितना बीज उत्पादन हुआ था जो बीज बिक्री हेतु अवशेष रह गया उसका कारण क्या था। अवशेष बीजो की निलामी कब और किस दर से की गयी। विश्वविद्यालय को क्या आर्थिक क्षति हुयी इसकी सूचना प्रस्तुत की जाय। यह कार्य निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र एवं निदेशक प्रसार द्वारा संयुक्त रूप में की जायेगी। 3. मा0 सदस्य श्री वीर सेन यादव द्वारा यह भी कहा गया कि प्रक्षेत्रों एवं पूरे विश्वविद्यालय में लगभग 30 प्रतिशत मजदूर ऐसे है जिनकी आयु 60–62 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मेडिकल सटिफिकेट लगाकर कार्यरत है। उनकी कार्य करने की क्षमता नहीं है। निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से मेडिकल बोर्ड गठित करके विश्वविद्यालय के अन्दर ही उनकी आयु का प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करायें। अधिविर्षता आयु पूरी हो चुकें श्रमिकों से कार्य लेना उचित नहीं होगा। यह कार्यवाही सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी के स्तर से होगी। 4. फार्मो में जो भी विद्युत दरे ली जा रही है वह व्यवसायिक दर से लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय मे भी बढती बिजली दर अर्थात घरेलू दरों की जगह व्यवसायिक दर से बिल भुगतान पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी और निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग, बीज एवं प्रक्षेत्र एवं प्रसार निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से इसका आकलन कर एक सुस्पष्ट कार्य योजना बनाकर प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय। एवं विद्युत दरो को कम करने के प्रयास किये जाये। शासन स्तर पर प्रयास कर व्यवसायिक दरों को घरेलू दरों पर लाने की कारवाई की जाय। 5. सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उ0 प्र0 शासन द्वारा यह बताया गया की कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सामान कार्य सामान वेतन के प्रकरणों में पारित मा0 उच्च न्यायालय के कई निर्णयों को उच्च स्तर पर चुनौति दी गयी है और उन्हे सफलता भी प्राप्त हुयी है। समस्त श्रमिकों का पारिश्रमिक रू0 7000/– पर कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा दिनांक 30.04.2019 को निर्धारित किया गया है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग एवं प्रभारी विधिक प्रकोष्ठ से अपेक्षा की गयी है कि कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा योजित की गयी याचिकाओं और निर्णय की प्रति प्राप्त कर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये अपने व्ययों को सीमित करने का कष्ट करें। इस प्रकार से सम्बन्धित समान सभी याचिकाओं को संकलित कर मा0 उच्च न्यायालय में सक्षम स्तर पर याचिका दायर कर फैजाबाद की भॉति विश्वविद्यालय हित में कार्यवाही की

जाये। प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस बात पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की गई कि विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय प्रकरणों में समय से कार्यवाही न करने, काउन्टर न लगाने तथा समय से मा0 न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत न करने के कारण विश्वविद्यालय को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। समय से काउण्टर न लगाने, एकल बैंच के प्रतिकूल आदेश को समय से डबल बेंच में चुनौती न देने, मा0 न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में याचियों का प्रत्यावेदन समय से निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारण न करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों तथा नियन्त्रक अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरूद्व कारवाई की जाय।

6. के0वी0के0 के वैज्ञानिकों को यू0जी0सी0 वेतन रू0 7000/–, रू0 8000/– एवं रू0 9000/– देने एवं के0वी0के0 के वैज्ञानिकों के स्थानान्तरण/अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों की कई शिकायतें प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों के पास विभिन्न स्तरों से पहुँची हैं। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि ऐसी प्राप्त शिकायतों का अवलोकन करते हुए प्रकरण जिसमें सभी तथ्य सम्मिलित हों को आई0सी0ए0आर को सन्दर्भित किये जाये और आई0सी0ए0आर0 के स्पष्ट निर्देश प्राप्त किये जाये कि के0वी0के0 के वैज्ञानिको को क्या–क्या सेवा सम्बन्धी लाभ और ग्रेड पे अनुमन्य हैं। क्या के0वी0के0 के वैज्ञानिकों को रू0 6000/–, 7000/–, 8000/– एवं रू0 9000/–ग्रेड पे नियमानुसार देय है? पूर्व में की गई प्रोन्नति/सेवा सम्बन्धी लाभ दिये गये है, उससे जो बजट बढा हुआ है उसे आई0सी0ए0आर0 से प्राविधानित करा कर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा कहा गया कि के0वी0के0 योजना, भारत सरकार एवं आई0सी0ए0आर0 द्वारा वित्त पोषित है। अतः होने वाले समस्त व्यय आई0सी0ए0आर0 द्वारा प्राप्त बजट से होने चाहिए। प्रबन्ध मण्डल यह भी निर्देश दिये गये कि आई0सी0ए0आर0 से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही के0वी0के0 के कृषि वैज्ञानिको के बन्द लिफाफे खोले जायें। आई0सी0ए0आर0 द्वारा दिये गये निर्देश ही मान्य होगें। यह कार्यवाही निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग तथा निदेशक प्रसार के स्तर से की जानी है।

7. सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह कहा गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम के द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है। उसमें कुलपति के अधिकार निहित हैं। कुलपति के अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्ध में डा0 हरपाल सिंह, सदस्य प्रबन्ध मण्डल की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त समिति को औचित्य विहीन मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। कुलपति जिन प्रकरणों को उचित समझतें हैं उसमें वह अपने स्तर निर्णय ले सकते हैं। जो अधिकार क्षेत्र के बाहर के हों वह प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर शासन को सन्दर्भित किये जायें। श्री करण सिंह पटेल, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह बल दिया गया कि जिन प्रकरणों में नियम स्पष्ट हों उनमें शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाय। अनावश्यक प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत न किये जायें। जिन

		प्रकरणों में नियम स्पष्ट न हों उन प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल अथवा शासन के समक्ष प्रस्तुत कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाय। **8.** मा0 प्रबन्ध मण्डल के द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक 2.5.2019 का संज्ञान लिया गया। वर्षो से प्रक्षेत्रों की बैलेंश सीट तैयार न किये जाने के कारण शासन द्वारा उ0 प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के चैप्टर 21 की धारा 28 (आर) का प्रस्तर–3 का उप प्रस्तर जे0 के अन्तर्गत निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, विभागाध्यक्ष शाक–भाजी विज्ञान विभाग, विभागाध्यक्ष सस्य विज्ञान विभाग, विभागाध्यक्ष, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग, अधिष्ठाता कृषि अभियंत्रिकी महाविद्यालय, इटावा, एवं निदेशक प्रसार का स्टपष्टीकरण प्राप्त कर मा0 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। यह कार्य दिनांक 28.5.2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने थे परन्तु अभी तक निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 31.5.2019 को दिया है। शेष उत्तरदायी अधिकारियों का स्पष्टीकरण अप्राप्त है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि अन्य उत्तरदायी अधिकारियो का स्पष्टीकरण प्राप्त कर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षण करते हुये अगली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय। यह कार्यवाही निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग के स्तर से होनी है। **9.** प्रबन्ध मण्डल के स्तर से या कुलपति जी के स्तर से कतिपय समस्याओं के निराकरण हेतु अथवा कतिपय शिकायतों की जॉच हेतु कई कमेटियॉ विभिन्न विभागाध्यक्षों के अध्यक्षता में गठित की गयी हैं परन्तु किसी भी कमेटी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग स्तर पर इसकी समीक्षा कर सभी कमेटी के अध्यक्ष को शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाय। अन्यथा की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जाय।

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

Man Mohan
(मनमोहन मिश्रा)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित
(डा0 सुशील सोलोमन)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल